भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †165

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कर्नाटक में स्वदेश दर्शन योजना 2.0

†165. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के संबंध में कर्नाटक राज्य से कोई नई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चिक्कबल्लापुर के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत किन्हीं पर्यटन परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कदमों और प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावों के मूल्यांकन के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार देश भर के पर्यटन विभागों का राज्य-वार मूल्यांकन करती है और यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक राज्य के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में पर्यटन विकास के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): पर्यटन मंत्रालय ने देश में स्थायी और सुरक्षित पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के तौर पर नया रूप दिया है। इस योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक में 'हम्पी' और 'मैसूरू' को गंतव्य के रूप में चिह्नित किया है और कर्नाटक में एसडी 2.0 के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है:-

गंतव्य	परियोजना	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)
हम्पी	ट्रेवलर्स नूक की स्थापना	26.30
मैसूरू	टोंगा राइड हेरिटेज एक्सपीरियंस	4.12
मैसूरू	पारिस्थितिकीय अनुभव क्षेत्र	18.36

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय चिह्नित गंतव्यों पर तीर्थ स्थल/आध्यात्मिक पर्यटन अवसंरचना बनाने के उद्देश्य से 'तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और 2023-24 में कर्नाटक राज्य में 45.71 करोड़ रु. की लागत से 'श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास' नामक परियोजना को मंजूरी दी है।

पर्यटन मंत्रालय, देश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने पर्यटन स्थलों/उत्पादों को बढ़ावा देने, सतत पर्यटन का विकास करने, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर ध्यान केंद्रित करने और विभिन्न योजनाओं के तहत बनाई गई संपत्तियों के संचालन और रखरखाव आदि के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी भी करता है।

******